72

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक : 412-दो/2001 - विरूद्ध आदेश दिनांक 25-1-2001- पारित व्दारा - अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा - प्रकरण क्रमांक 807/1991-92 अपील

लछिमनराम पुत्र जनकधारी
ग्राम मिश्रगवॉ तहसील
गोपदबनास जिला सीधी -----आवेदक

विरूद्ध

1- शिवानन्द पुत्र जगतराम
2- रामयण पुत्र शंकरराम
3- राममणिराम पुत्र जनकधारी
4- सीताशरण पुत्र हिन्दमणि प्रसाद
5- रोहणीराम पुत्र हिंदमणि प्रसाद
निवासी ग्राम मिश्रगवां
तहसील गोपरबनास जिला सीधी ---अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री बिनोद भार्गव)
(अनावेदक 1,2 के अभिभाषक श्री ए.के.अग्रवाल)
(शेष अनावेदक सूचना उपरांत अनुपस्थित-एकपक्षीय)

आ दे श

;आज दिनांक 08 - 03 -2018 को पारितद्ध

यह निगरानी अपर आयुक्त,रीवा संभाग,रीवा व्दारा प्र0क0 807/90-91 अपील में पारित आदेश दिनांक 25-1-2001 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि राजस्व निरीक्षक वृत्त गिर्द ने प्रकरण क्रमांक 174 अ-6/1982-83 में पारित आदेश दिनॉक 5-4-1983 से ग्राम

कोठार की भूमि सर्वे क्रमांक 163/1 रकबा 1.60 पर जनकधारी पुत्र रामवक्स का नामान्तरण किया। इस आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी गोपद बनास के समक्ष अपील क्रमांक 01/1989-90 प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी गोपदबनास ने अवधि विधान की धारा-5 के आवेदन पर विचार कर अंतरिम आदेश दिनॉक 15-12-1989 पारित किया तथा अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को क्षमा कर दिया। अनुविभागीय अधिकारी गोपद बनास ने हितबद्ध पक्षकारों की सुनवाई की एंव अंतिम आदेश दिनॉक 25-6-90 पारित करके अपील समयवाह्य प्रस्तुत होना मानकर निरस्त कर दी। अनुविभागीय अधिकारी गोपद बनास के प्रकरण क्रमांक 1 अ-6/1989-90 अपील में पारित आदेश दिनांक 25-6-1990 के विरूद्ध अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष अनावेदक क्रमांक 1 एंव 2 ने अपील प्रस्तुत की । अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण क्रमांक 807/90-91 अपील में पारित आदेश दिनांक 25-1-2001 से अनुविभागीय अधिकारी गोपद बनास का आदेश दिनांक 25-6-90 निरस्त कर दिया तथा प्रकरण हितबद्ध पक्षकारों की सुनवाई कर पुनः आदेश पारित करने हेतु प्रत्यावर्तित किया। अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उपस्थित पक्षकारों के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया ।

4/ आवेदकगण के अभिभाषक का तर्क है कि अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 15-12-89 एकपक्षीय पारित किया था एंव अपील को समयसीमा में मान लिया था, परन्तु जब अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अनावेदकगण उपस्थित हुये और उन्होंने परिसीमा के बिन्दु पर आपत्ति उठाई , अनुविभागीय अधिकारी ने अपील को अवधि वाह्य मानकर ठीक ही निरस्त किया है क्योंकि यह आदेश दोनों पक्षों को सुनकर दिया गया है परन्तु अपर आयुक्त ने प्रकरण की वास्तविकता जाने बिना ही अनुविभागीय अधिकारी के विधिवत् पारित आदेश को निरस्त करने में त्रृटि की है इसलिये निगरानी स्वीकार जावे।

अनावेदकगण क्र-1,2 के अभिभाषक का तर्क है जब एक वार अनुविभागीय अधिकारी आदेश दिनांक 15-12-89 से अपील समयावधि में

मानकर गुणदोष पर सुनवाई हेतु ग्राह्य कर चुके हैं तब उन्हे समयावधि के बिन्दु पर पुनः सुनवाई का अधिकार नहीं है इस कारण अपर आयुक्त द्वारा अनुविभागीय अधिकारी गोपद बनास के आदेश दिनांक 25-6-90 को ठीक ही निरस्त किया है। उन्होंने निगरानी निरस्त करने की मांग रखी।

5/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि यह सही है कि अनुविभागीय अधिकारी गोपद बनास ने समयावधि के बिन्दु पर सुनवाई करके आदेश दिनांक 15-12-89 पारित किया है एंव अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को क्षमा किया है। जहां तक आवेदकगण के अभिभाषक ने आदेश दिनांक 15-12-89 के एकपक्षीय होने की आपत्ति का प्रश्न है? अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 15-12-89 के विरूद्ध पीड़ित पक्षकार को सक्षम न्यायालय में चुनौती देना थी जो समय रहते नहीं दी गई, जिसके कारण अनुविभागीय अधिकारी गोपद बनास को आदेश दिनांक 15-12-89 निरस्त करने की अधिकारिता नहीं थी इस प्रकार उन्होंने आदेश दिनांक 25-6-90 पारित करके अपील को समयवाह्य मानकर निरस्त करने में त्रृटि की गई है जिसके कारण अपर आयुक्त,रीवा संभाग,रीवा द्वारा प्र0क0 807/90-91 अपील में पारित आदेश दिनांक 25-1-2001से अनुविभागीय अधिकारी के त्रृटिपूर्ण आदेश को ठीक ही निरस्त किया है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त,रीवा संभाग,रीवा द्वारा प्र0क0 807/90-91 अपील में पारित आदेश दिनांक 25-1-2001उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल,ग्वालियर